

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	बैतूल, होशंगाबाद एवं हरदा जिले में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत हरदा-बैतूल सेक्शन NH-47 के तहत टेमागांव से चिचोली तक मार्ग निर्माण हेतु वन मण्डल पश्चिम बैतूल की 6.362 हेक्टेयर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) वन मण्डल की 4.772 हेक्टेयर एवं हरदा वन मण्डल की 0.061 हेक्टेयर कुल 11.195 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 11.399 हेक्टेयर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	---

तिथि:- 13/07/2023
स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal